



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-455/MP/2/2022-RO-BH

दिनांक: 02.05.2023

सेवा में,

श्री जेटूसिंह तेकाम,
प्रांतीय प्रवक्ता,
गोंडवाना महासभा (म.प्र.),
सतारा, वार्ड नं 12, कटंगी,
जिला-बालाघाट,
मध्य प्रदेश


विषय: श्री सालिकराम गेड़ाम, ग्राम भादूकोटा एवं श्रीमती गौराबाई तेकाम, ग्राम भीकेवाड़ा ग्राम पंचायत भीकेवाड़ा, तहसील परसवाड़ा, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश को शासकीय कृषि भूमि का पट्टा प्रदाय किए जाने के सम्बंध श्री जेटूसिंह तेकाम (प्रांतीय प्रवक्ता) गोंडवाना महासभा (म.प्र.), सतारा, वार्ड नं 12, कटंगी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश का दिनांक 30.04.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 11.05.2023 को 03:00 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय सदस्य महोदय के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।